बिन्दर सिंह आदि बनाम हेतराम आदि
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 25 सन् 2016

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 83 दिनांक 06.02.2020 से प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी द्वारा संयुक्त खाता में से ही रास्ता चाहा गया है। तथा प्रार्थी द्वारा जो रकबा बताया गया है। मुताबिक रिपोर्ट केवल 0.505 हैक्टर रकबा ही खातेदार संयुक्त खाता के रूप में दर्ज है। अतः जब तक किलाजात पृथक नहीं होते तब तक कौनसे किला को रास्ता दिया जावे, यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है। एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा जिस रकबा के लिए रास्ता की मांग की गई है। वह रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के आधार पर मुश्तर्का खाता की भूमि है। तथा जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है। वह भी मुश्तर्का खाता की भूमि है। मुर्शतका खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहकाश्तकार का कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रार्थीगण अपनी भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम संख्या 18 से 21 के तहत रास्ता ले सकते है। यदि प्रार्थीगण को खाता विभाजन होने पर भी रास्ता नहीं मिलता है तो वह पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	Noted

Scanned with CamScanner